न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी (खैरथल–तिजारा)

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भिवाड़ी)

अपील संख्या	किस्म मुकदमा	प्रवेश दिनांक	निर्णय दिनांक
11/03/2025	अपील इंतकाल	02.04.2025	01.01.2026

उनवान प्रकरण :–

1. सरजीत पुत्र स्व० श्री रामजीवन जाति गुर्जर निवासी ग्राम नंगलिया, भिवाडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा (राज०)

–:अपीलान्ट

बनाम

1. तत्कालीन उप तहसीलदार, हाल तहसीलदार, तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

–:रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आज्ञा ततकालीन उप तहसीलदार टपूकडा के द्वारा मृतक रामजीवन का विरासत इन्तकाल सं. 413 वाके ग्राम नंगलिया दर्ज दिनांक 13.04.2012 व स्वीकार दिनांक 17.04.2012 कर निर्णित किया है, बमुराद मन्सूख किये जाने उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट ।

उपस्थित :

1. **श्री लवकेश सिंह चौहान एडवोकेट।** **:– वकील अपीलान्ट**

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, कि यह है कि विरासत इन्तकाल सं. 413 वाके ग्राम नंगलिया तहसील टपूकडा का रेस्पोडेन्ट के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध पेश की जा रही है। जिसका अदालत श्रीमान को क्षेत्राधिकार निहित है। यह है कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित विरासत इन्तकाल सं. 413 वाके ग्राम नंगलिया तहसील टपूकडा में दर्ज आराजी मिन अपीलान्ट के पिता रामजीवन पुत्र नन्दा गुर्जर की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिस पर वे अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते रहे है। रामजीवन जो कि मिन अपीलान्ट का पिता था और मिन अपीलान्ट के पिता रामजीवन की मृत्यु उपरान्त उसके हिस्से की भूमि मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट के परिवारजन काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करना आरम्भ कर दिया। रेस्पोडेन्ट ने मिन अपीलान्ट के मृतक पिता रामजीवन का विरासत इन्तकाल सं. 413 दर्ज दिनांक 13.04.2012 व स्वीकार दिनांक 17.04.2012 को निर्णित करते समय मिन अपीलान्ट का गलत नाम सतीश का अंकन कर दिया। जबकि मिन अपीलान्ट का सही नाम सरजीत है व मिन अपीलान्ट को गांव में सही नाम सरजीत से ही जाना

जाता है व मिन अपीलान्ट के ड्राईविंग लाईसेन्स व भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड व पारिवारिक राशन कार्ड में भी सही नाम सरजीत का अंकन है। रेस्पोडेन्ट, मिन अपीलान्ट का गलत नाम इन्तकाल सं. 413 में अंकित कर दिया, जिस कारण मिन अपीलान्ट का गलत नाम वर्णित आराजी की जमाबन्दी में चला आ रहा है। जिसकी बाबत रेस्पोडेन्ट ने ना तो मिन अपीलान्ट को कोई सूचना दी और ना ही इन्तकाल दर्ज व स्वीकार करते समय गांव की चौपाल पर कोई इश्तहार चस्पा किये। रेस्पोडेन्ट ने विधि विरूद्ध तरीके से उक्त इन्तकाल सं. 413 को दर्ज व स्वीकार कर अपना आदेश पारित कर दिया, जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है। इसलिए रेस्पोडेन्ट उक्त आदेश का गलत एवं विधि विरूद्ध है, जो काबिल अपास्त है। यह है कि मिन अपीलान्ट अपने मृतक पिता रामजीविन से विरासत से मिली भूमि पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता आ रहा है। मिन अपीलान्ट जो कि भोला भाला अनपढ किस्म का व्यक्ति है, जिसे कानून कायदे की कतई जानकारी नहीं है और ना ही उक्त दर्ज व स्वीकार हुये इन्तकाल सं. 413 में मिन अपीलान्ट का गलत नाम सतीश की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है। मिन अपीलान्ट को अपनी पारिवारिक जरूरत के लिए पैसो की सख्त आवश्यकता थी और मिन अपीलान्ट ने हल्का पटवारी के पास जाकर हाल जमाबन्दी का अवलोकन किया तो हल्का पटवारी ने मिन अपीलान्ट को उसका गलत नाम सतीश के जमाबन्दी में दर्ज होना बताया। जिस पर कानूनी राय मशवरा कर उक्त इन्तकाल सं. 413 की नकल ली व अन्य दस्तावेजात प्राप्त कर पुनः कानूनी मशवरा किया तो समस्त तथ्यो की जानकारी सामने आई। जिस पर मिन अपीलान्ट ने दिनांक 17.01.2025 को रेस्पोडेन्ट हाल तहसीलदार टपूकडा के पास जाकर समस्त तथ्यों से अवगत कराकर इन्तकाल सं. 413 में मिन अपीलान्ट का गलत नाम सतीश के स्थान पर सही नाम सरजीत का अंकन करने का निवेदन किया तो रेस्पोडेन्ट ने साफ तौर से मिन अपीलान्ट का नाम सही करने से इन्कार कर दिया व कहां कि सक्षम न्यायालय में जाकर चाराजोही करो। जमाबन्दी में अपीलान्ट का गलत नाम दर्ज होने से मिन अपीलान्ट के हकूको पर कुठाराघात होता। इसलिए मिन अपीलान्ट को अपने हकूको की रक्षार्थ यह अपील हाजा न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। मिन अपीलान्ट अपने मृतक पिता रामजीवन से विरासत से मिली आराजी पर काबिज व दाखिल चला आ रहा है तथा मौके पर मिन अपीलान्ट का वास्तविक कब्जा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा विरासत इन्तकाल सं. 413 में मिन अपीलान्ट का गलत नाम सतीश का अंकन किया है, जो आदेश हरसूरत में अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तत्कालीन उप तहसीलदार टपूकडा के द्वारा मिन अपीलान्ट के मृतक पिता रामजीवन का विरासत इन्तकाल सं. 413 वाके ग्राम नंगलिया का दर्ज दिनांक 13.04.2012 व स्वीकार दिनांक 17.04.2012 करते समय मिन अपीलान्ट का गलत नाम सतीश का अंकन किया है, उक्त इन्तकाल सं. 413 को निरस्त कर नये सिरे से इन्तकाल दर्ज व स्वीकार कर मिन अपीलान्ट का सही नाम सरजीत के आदेश फरमाया जावें व बाद स्वीकार इन्तकाल अपीलान्ट के सही नाम सरजीत का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस के रेस्पोडेन्ट उपस्थित नही हुए जिनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। तहत न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या0 413 दिनांक 17.04.2012 वाके ग्राम नंगलिया तहसील टपूकडा की प्रमाणित प्रति प्रेषित की गई जो संलग्न पत्रावली कि गई।

अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य दस्तावेजी में नियम 33 के तहत नामान्तकरण संख्या 413 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श –1, ड्राईविंग लाईसेंस प्रदर्श–2, पहचान पत्र प्रदर्श–3, अंकतालिका कक्षा 10 प्रदर्श–4, हाल जमाबन्दी प्रदर्श–5, फोटोप्रति परिवार राशनकार्ड प्रदर्श –6 संलग्न कराई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों दोहराते हुए निवेदन किया की यह है कि रामजीवन जो कि मिन अपीलान्ट का पिता था और मिन अपीलान्ट के पिता रामजीवन की मृत्यु उपरान्त उसके हिस्से की भूमि मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट के परिवारजन काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करना आरम्भ कर दिया। रेस्पोडेन्ट ने मिन अपीलान्ट के मृतक पिता रामजीवन का विरासत इन्तकाल सं. 413 दर्ज दिनांक 13.04.2012 व स्वीकार दिनांक 17.04.2012 को निर्णित करते समय मिन अपीलान्ट का गलत नाम सतीश का अंकन कर दिया। जबकि मिन अपीलान्ट का सही नाम सरजीत है व मिन अपीलान्ट को गांव में सही नाम सरजीत से ही जाना जाता है व मिन अपीलान्ट के ड्राईविंग लाईसेन्स व भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड व पारिवारिक राशन कार्ड में भी सही नाम सरजीत का अंकन है। उक्त इन्तकाल सं. 413 को निरस्त कर नये सिरे से इन्तकाल दर्ज व स्वीकार कर मिन अपीलान्ट का सही नाम सरजीत के आदेश फरमाया जावें व बाद स्वीकार इन्तकाल अपीलान्ट के सही नाम सरजीत का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन किया जावें।

हमने संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम मियाद अधिनियम दफा 5 पर विवेचन करना उचित समझते है। मियाद के बिन्दु पर अपीलान्ट द्वारा आदेश दिनांक से अपील दायर करने तक विलम्ब का कारण दर्शित किया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नर्मी का रूख अपनाते हुए आदेश दिनांक से अपील दिनांक तक की अवधी को कन्डोन किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहा तक प्रश्न अपील के गुणावगुण का है मैने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजी का अवलोकन किया। जिससे जाहिर है कि आधार कार्ड में अपीलान्ट का नाम सरजीत पुत्र रामजीवन, पारिवारिक राशन कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र एवं माध्यमिक अंकतालिका में भी अपीलान्ट का नाम सरजीत पुत्र रामजीवन दर्ज है तथा तहसीलदार टपूकडा के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया है कि पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार सरजीत पुत्र रामजीवन जाति गुर्जर निवासी नंगलिया व सतीश पुत्र रामजीवन जाति गुर्जर एक ही व्यक्ति है। तहत न्यायालय द्वारा बिना शपथ पत्र लिए तथा बिना साक्ष्य के आधार पर नामान्तकरण संख्या 413 विरासत अपीलान्ट का नाम सतीश पुत्र रामजीवन दर्ज करते हुए नामान्तकरण स्वीकार किया। तहत न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 413 वाके ग्राम नंगलिया तहसील टपूकडा सतीश पुत्र रामजीवन की जद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण

तहसीलदार टपूकडा के पास इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत नामान्तकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01/01/2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भिवाडी,खैरथल–तिजारा।